उत्तर प्रदेश शासन
लोक निर्माण अनुभाग-6
संख्या-381**/2025/**I**/1172163**/2025**/23-6099/**24**/2025**
लखनऊ : दिनांक 11 दिसम्बर, 2025

शुद्धि-पत्र

वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य योजना (ग्रामीण) के अनुदान सं0-57/83 के अंतर्गत सहारनपुर क्षेत्र के जनपद सहारनपुर में सहारनपुर बड़ागांव मार्ग किमी0-4 में देहरी सीमा वाया मल्हीपुर शेरपुर गुर्जर फतेहपुर गुर्जर कांकरकुई चांदनपुर नल्हेडा मार्ग पर क्षतिग्रस्त लघु सेतु के स्थान पर 2/33/0 बाक्स कल्वर्ट का निर्माण कार्य हेतु निर्गत धनावंटन सम्बन्धी शासनादेश संख्या-368/2025/I/1159127/ 2025/ 001/23 -6099/24/2024, दिनांक 30.11.2025 में त्रुटिवश अनुदान संख्या-83 के मद के लेखाशीर्षक 5054047892000 अंकित हो गया है। अत: उपर्युक्त शासनादेश में अंकित अनुदान संख्या-83 के मद के लेखाशीर्षक ''5054047892000'' के स्थान पर लेखाशीर्षक ''5054047891400'' पढ़ा जाय।

2- शासनादेश सं0-368/2025/I/1159127/ 2025/001/23-6099/24/2024, दिनांक 30.11.2025 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय।

(शिव कुमार)
अनु सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज ।
(2) महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज ।
(3) संबंधित मण्डलायुक्त/संबंधित जिलाधिकारी ।
(4) संबंधित मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग ।
(5) मुख्य अभियंता (सेतु), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ ।
(6) प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य सेतु निगम लि0, लखनऊ।
(7) संबंधित कोषाधिकारी।
(8) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8।
(9) राज्य योजना आयोग अनुभाग-1/2 ।
(10) नोडल अधिकारी(आनलाईन बजट एलॉटमेन्ट सिस्टम),लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0शासन।
(11) गार्ड फाइल।

(शिव कुमार)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in